कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर—302004 ई–मेल:-ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांकः एफ. 14(373/35)2020/एफसीए/प्रमुवसं/ 2926

दिनांक 22/10/24

विशिष्ठ शासन सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:— Diversion of 0.3648 ha. of forest land in favour of DINESH ENGINEERS LTD. for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 58.285=58.285 km (Gogunda-Kirat Road) District - Udaipur (Rajasthan) (प्रस्ताव सं. FP/RJ/OFC/43686/2020)

संदर्भ:--राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प. 1(134)वन / 2020 दि. 08.03.2021.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट

मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है:--

वन सरक्षक, उदयपुर स प्राप्त कर निम्नानुसार प्रीषेत है:-		
आक्षेप	सूचना	
वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही	
नहीं होगा।	किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग	
	संलग्न है।	
प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य	
प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता	
	एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।	
याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं	परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान	
	आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं	
वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी	को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचई जावेगी एवं	
प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं	उनके संरक्षण हेतु समस्त उपास किये जावेगे।	
उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये	प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले	प्रत्यावर्तित क्षेत्र मे रोपित पेडों को वन विभाग की	
वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के	बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र	
नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड	मे रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के	
परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।	होगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न	
	है।	
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र	
स्थल / वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों / स्टाफ	के आस-पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी	
क लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प न हीं	प्रकार का कैंम्प न हीं लगाया जावेगा। प्रयोक्ता	
लगाया जावेगा।	अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी है,	
	जो संलग्न है।	
प्रयाक्ता आभकरण द्वारा निर्माण कार्य के	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान	
वारान स्थल पर कायरत मजदूरों / स्टाफ को	स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसाई	
्राध्य गर्भ / करासिन तेल आपूर्ति की	गैस/केरोसिन तेल आपूति नहीं की जायेगी। इस	
जापना, ताक निकटवता वना की क्षति न	संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता दी	
	गयी है जो संलग्न है।	
विश्वायत वनभूमि के	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के	
अतिरिक्त आस-पाम की कालके 🕹 🚐	A-CC	
आतारक्त आस-पास की वनभि से / पर	अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण	
आतारक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी/प्रकार कारने	कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काप्टने या भरने का	
आतारक्त आस-पास की वनभि से / पर	अतिरिक्त आस—पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।	
	आक्षेप वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमित के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस—पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प न हीं लगाया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसाई गैस / केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभि के	

8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ. आर. ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	के साथ एफ.आर.ए. सटिफिंकेट प्रस्तुत किया है (प्रति संलग्न)
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमित का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	
11	भारत सरकार के पत्रांक 7—23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा दि. 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रजी में प्रकाशित होने वाले एक—एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियांस्थानीय निकाय, पंचायत एवंनगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित स्वीकृति की फोटो प्रति संलग्न है। (प्रति संलग्न है।)
12	भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफसी—11/165/2019—एफसी दिनांक 27.07.2020 में दिये गये दिशा—निर्देशों की अनुपालना करें।	भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफसी—11/165/2019—एफसी दिनांक 27.07.2020 में दिये गये दिशा—निर्देशों की अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस संबंध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है। (संलग्नक)

संलग्नः--उक्तानुसार।

भवदीया

१ (शिखा मेहरा) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14(373/35)2020/एफसीए/प्रमुवसं/ 🤧 १२७ - २ प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

दिनांक 22) 10/24

- 1. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर
- 2. उप वन संरक्षक, उदयपुर
- 3. Dinesh Enginers Itd. DEPL House Neighnourhood shopping complex, Sector 4 Nerul - W, Nevi Mumbai - 400706

१ (दिनेश कुमार गुप्ता) उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001 Tel.no. 0294-2424748; 0294-2418137

email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; 6531 कमांक एफ 5 () मुवसं/वसु/2024-25/

दिनांक :- 01.10,2024

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,

राजस्थान, जयपुर।

विषय— Diversion of 0.3648 ha. of forest land in favour of DINESH ENGINEERS LTD. for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS & 0/0 to KMS 58.285 = 58.285 km (Gogunda - Kirat road)

District Udaipur (Raj).

सन्दर्भः – 1–आपका पत्रांक ६८९८ दिनांक २७.०७.२०२३ के कम में। 2—उप वन संरक्षक, उदयपुर के पत्रांक एफ ()/तकनिकी/उवसं/2024—25/6261 दिनांक 11.09.2024

महोदय

उपरोक्त विषयान्तंगत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि आप द्वारा चाही गई वांछित सूचना उप वन संरक्षक, उदयपुर के पत्रांक एफ ()/तकनिकी/उवसं/2024-25/6261 दिनांक 11.09.2024 से इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। प्राप्त सूचना के कम में उप वन संरक्षक, उदयपुर द्वारा पत्र में उल्लेखित किया है कि जिला कलक्टर, उदयपुर से प 39 1() राजल/गे.व.प्र./2023/1875-76 दिनांक 7.8.2024 से उनके द्वारा पूर्व में जारी एफ.आर.ए/2023/690-92 दिनांक 24.02.2023 से गोगुन्दा - किरत मार्ग में ग्राम भवरिया, उपरेटा, को सम्मिलित किये जाने से अवगत करवाया गया है। (प्रति संलग्न)

अतः उप वन संरक्षक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट इस कार्यालय की सहमति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के संलग्न प्रेषित हैं।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील चिद्री) मुख्य वन संरक्षक उदयपुर

दिनांक :--

क्रमांक एफ 5 () मुवसं/वसु/2024-25/

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, उदयपुर को उनके पत्रांक 6261 दिनांक 11.09.2024 के कम मे सूचनार्थ

RajKaj Ref 10874162



मुख्य वन संरक्षक Signature yalid

Digitally signed by Sup Chidri Designation Chief Conservator Of

5:35:57 IST

Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन भोहता पार्क के सामने, घेटक सर्कल, उदयपुर (राज,)पिन-313001

E-mail:-dct.udpr.forest@gmail.com Phone/Lax-(0294)2429239

क्माकः एक() वक्तिकी/ वत्तरा / 2021-25/62 61

निमित

संभागीय मुख्य वन संरक्षक

19152

Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROw from KMS-0/0 to KMS 58.285 = 58.285 km (Gogunda-Kirat road) District

Udaipur (Raj.)

सन्दर्भ:- प्रधान मुख्य तन रांस्क्षक (तन वल प्रमुख) राजस्थान जयपूर का पत्र क्रमांक एक 14 (373/35) 2020/एफसीए/प्रगुतरां/6899-6900 दिनांक 27.07.2023 एवं आप कार्यालय का पत्र कमांक 5266 दिनांक 29.08.2023 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 7373 दिनांक 19.08.2023 के कम में।

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तंगत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि जिला कलक्टर, उदयपुर से प 39/1()राजल/गै.व.प्र./2023/1875-76 दिनांक 7.8.2024 प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र से कार्यालय जिला कलक्टर , उदयपुर जारी एफ.आर.ए/2023/690-92 दिनांक 24.02.2023 से गोगुन्दा-किरत मार्ग में ग्राम भवीरया, उपरेटा, को सम्मिलत किये जाने से अवगत करावाया गया है। पत्र की छाया प्रति संलग्न प्रस्तृत है।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

(मुकेश सैनी) उप वन संरक्षक,

> उदयपुर दिनांक:-

क्रमांक:-एफ()/तकनिकी/ उ.व.स.उ./2024-25/

प्रतिलिपि मेसर्स दिनेश ईन्जनियरिंग प्रा.लि. को सुचनार्थ प्रेषित है।

उदयपुर

कार्यालय जिला कलवटर, चदयपुर (राज.)

क्रमाक प्रकार ()राज में वर्ष 2023 / 1875-716

G-114 7.08 2024

Ding

्रवंप वन संस्थान जनसपुर ।

विषयः मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अण्डर ग्राचण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (नन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के एफ,आर.ए. प्रमाण पत्र के संबंध में।

वपरोवत विषयान्तर्गत लेख है कि गैसर्स दिनेश ईजिनियरिंग को अण्डर गालण्ड ऑप्टीकल फाईवर लाईन विछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गान्यता) अधिनियग, 2006 के तहत प्रमाण-पन्न जारी करने के संबंध में लपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा , त्रहषभदेव , झाडोल व लसडिया से प्रस्ताव प्राप्त हैं जिस पर इस कार्यालय से दिनांक 24.02.2023 को वन भूमि पर अण्डर ग्राउण्ड हों जिस पर इस कार्यालय से दिनांक 24.02.2023 को वन भूमि पर अण्डर ग्राउण्ड हों जिस फाईबर लाईन बिछाने हेतु तीन एफ,आर,ए प्रमाण पत्र जारी किये ।

जिस पर आवेदक भैसर्स दिनेश ईजिनियरिंग लिमिटेड इन्फास्ट्रक्चर प्रोदाईटर हारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ओ.एफ.सी लेथिग के प्रकरण में जारी तीन एफ.आर.ए प्रमाण पत्र में एक प्रमाण पत्र कमांक एफ.39/1()राजस्व/एफ.आर.ए/2023/690-92 दिनांक 24.02.2023 गोगुन्दा से किरत मार्ग में भवरिया, उपरेटा एंप काडा ग्रामों का उल्लेख नहीं किया गया जाकर अन्य प्रमाण पत्र में सम्मिलित किया गया काडा ग्रामों का उल्लेख नहीं किया गया जाकर अन्य प्रमाण पत्र में जोडने हेतु निवेदन कया गया है।

कया गया है।
अतः इस कार्यालय के जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र कमांक एफ.39/1()
राजरव/एफ.आर.ए/2023/690-92 दिनांक 24.02.2023 गोगुन्दा-किरत मार्ग मे ग्राम
भवरिया, उपरेटा को सम्मिलित सिर्ध होती है।

F. CA. 2367

(अरविन्द कुमार पोसवाल) जिला कलक्टर, उदयपुर

1 मैसर्स दिनेश ईजिनियरिंग लिगिटेंड इन्फारतवचर प्रोवाईटर, उदयपुर ।

ि जिला कलक्टर,







राजस्थान सरकार वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर—313001 Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no..0294-2418137

कमांक एफ 5 (93/OFC)/एफसीए./मुवसं/2023-24/ **418**%

दिनांक :- 13 (7 12 23

निमित्,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेवंशन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

विषय:— Diversion of 0.3648 ha. Of forest land in favour of DINESH
ENGINEERS LTD.for Laying fo Undergraund OFC along the road
within the existing ROW from KMS – 0/0 to KMS 58.285 = 58.285
km (Gogunda – Kirat Road) District –Udaipur, (Raj)
(Proposal No.FP/RJ/OFC/43686/2020)

संदर्भ :- आपका पत्रांक 878 दिनांक 10.03.2021 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र पत्र के कम में निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में राज्य सरकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प. 1 (134)वन/2020 दिनांक 08.03.2021 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शतों की बिन्दुवार पालाना रिपोर्ट चाही गई है, के परिप्रेक्ष्य में उप वन संरक्षक, उदयपुर द्वारा उनके पत्रांक एफ ()/तकनिकी/उवसं/2020—21/5022 दिनांक 28.07.2021 एवं 3532 दिनांक 31.05.2023 से बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट तैयार कर इस कार्यालय को प्रेशित की गई है। उप वन संरक्षक, उदयपुर से प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट इस कार्यालय की सहमति के साथ निम्नानुसार तैयार की जाकर मूल ही दो प्रतियों आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

1367 L3

	क.स.	शत	। पालना रिपोर्ट ।
	1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	इस संबंध में प्रयोक्ता विभाग द्वारा
ל			Undertaking प्रस्तुत कर दिया
			गया है। (संलग्न)
	2 ,	प्रत्यावर्तित् वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं	इस संबंध में प्रयोक्ता विभाग द्वारा
		किया जावेगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया
			गया है। (संलग्न)
	3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान	इस संबंध में प्रयोक्ता विभाग द्वारा
		आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेत् समस्त	Undertaking प्रस्तुत कर दिया
		उपाय किये जावेगें।	गया है। (संलग्न)
	4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की	इस संबंध में प्रयोवता विभाग द्वारा
	-	बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़	Undertaking प्रस्तुत कर दिया
		परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।	गया है। (संलग्न)
			,
	5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास	इस संबंध में प्रयोक्ता विभाग द्वारा
		मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्पा नहीं लगाया	Undertaking प्रस्तुत कर दिया
		जावेगा।	गया है। (संलग्न)
	6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान रथल पर कार्यरत	इस संबंध में प्रयोक्ता विभाग द्वारा
		मज़दूरों / रटाफ़ को रसोई गैस / केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी,	Undertaking प्रस्तुत कर दिया
		ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	nature valid
1			/
	7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आसुन्धारी की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी DESG काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। Foresi	ly sighed by Ixail cimar Singh
		का वनमूम सं/पर निर्माण काय के दौरान मिद्दा Design	hatton Chine Canservator O
		काटन या गरन का काय नहां किया जायगा। Forest	10022 07312 C-21-54 IST
		Date:	2023.07.12.6:21:54 IST
et	No.: 4	265866 - Reast प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविश्य में योजना पर लागू सभी	n: Approved इस संबंध में प्रयोक्ता विभाग द्वारा

~ ell

RajKaj Re

घर-घर

शर-धर			
औषधि यो	जना नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया	
	नियम, कानून तथा निर्माण	गया है। (संलग्न)	
9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ. आर.ए. सटिफिंकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा उनके पत्रांक 690–92 दिनांक 24.02.2023 से एफ.आ.ए. प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है।	
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमित का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	इस संबंध में प्रयोक्ता विभाग द्वारा Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्न)	
11	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित होने	प्रयोक्ता विभाग द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में समाचार पत्र प्रकाशित करवा दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।	
	वाले एक—एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करीव एवं जारा स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के आदेश	
12	भारत सरकार के आदेश कमांक एफसी —11/165/ 2019—एफसी दिनांक 27.07.2020 में दिये गये दिशा—निर्देशों की अनुपालना करें।	कमांक एफसी —11/165/ 2019—एफसी दिनांक 27.07.2020 में दिये गये दिशा—निर्देशों की अनुपालना यूजर एजेंसी द्वारा की	
		जाएगीं। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दिया गया है। (संलग्न)	

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।(मूल अनुपालना रिपोर्ट 2 प्रतियों में)

भवदीय,

(आर.के.सिंह) संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।

कमांक एफ 5 (93/OFC)/एफसीए./मुवसं/2023-24/ दिनांक :-प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1- उप वन संरक्षक, उदयपुर को उनके पत्रांक 5022 दिनांक 28.07.2021 एवं 3532 दिनांक 31.05. 2023 के कम में प्रेषित कर लेख है कि जब तक उक्त प्रकरण में सक्षम स्तर से स्वीकृति न मिले तब तक वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैरवानिकी कार्य न हो यह भी सुनिश्चित करें।

2- Dinesh Enginers Itd. DEPL House] Neighnourhood shopping complex, Sector-4 Nerul- W, Nevi Mumbai, 400706.

> संभागीय मुख्य वन संरक्षक. उदयपुर।

Signature yalid

Digitally signed by Kaikumar Singh Designation Chief Conservator Of

Forest

6:21:54 IST Date: 2023.07.12 Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 4265866

कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन मोहता पार्क के सामने, चेटक सर्कल, उदयपुर (राज.)पिन-313001

E-mail:-dcf.udpr.forest@gmail.comPhone/Fax-(0294)2429239

कमांक:-एफ()/तकनिकी/उ.व.स./2022-23/-353 2

दिनांक:-31/5/2

निमित्

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,

उदयपुर।

321

विषय:- Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROw from KMS-0/0 to KMS 58.285 = 58.285 km (Gogunda-Kirat road) District Udaipur (Raj.)

सन्दर्भ: - आपका का पत्र कमांक 3115 दिनांक 15.05.2023 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि आप द्वारा पालना रिपोर्ट में निम्न

आक्षेप लगाये गये थे जिसकी पूर्ति निम्नानुसार कर दी गई है।

कं.सं.	आक्षेप / कमियाँ	प्रत्युत्तर
1	यूजर एजेन्सी से प्राप्त पालनाओं के समस्त अण्डरटेकिंग पर	अण्डरटेकिंग पर प्रति हस्ताक्षर
	उप वन संरक्षक, के प्रति हस्ताक्षर नहीं है।	कर दिये गये है।
2	युजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग शर्त संख्या–12 में	
	शर्त संख्या–11 अंकित किया गया है, यूजर एजेंसी से उक्त	
	त्रुटि सही करावें। साथ ही अण्डरटेकिंग में यह उल्लेख नहीं	
	है कि उक्त पालना कौन करेंगा।	

संलग्न:-उपरोक्तानुसाार(३ प्रति में)

21/2/2

(मुकेश सैनी) उप वन संरक्षक, उदयपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन मोहता पार्क के सामने, बेटक सर्कल. उदयपुर (राज.)पिन-313001

E-mail:-dcf.udpr.forest@gmail.comPhone/Fax (0294)2429239

कमांकः एफ()/तकनिकी/उ.व.स./२०२०-२1/५०२०

विनाक: 28/7/21

निमित्

संगागीय मुख्य वन संरक्षक, - उदयपुर

विषय:- Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROw from KMS-0/0 to KMS 58.285

58.285 km (Gogunda-Kirat road) District Udaipur (Raj.)

रान्दर्भः अति.प्रधान गुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर का पत्र कमांक एफ 14.(373/35)2019/एफसीए/प्रमुवरां/ 879 80 दिनांक 10.03.2021 एवं आपका पत्र कमांक एफ()वसु/मुवरां/2020 21/2092 दिनांक 25.03.2021 के कम में।

BPISE

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि राज्य सरकार के पत्रांक प (134) वन / 2020 दिनांक 08.03.2021 एवं अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर का पत्र कमांक एफ 14.(373 / 35)2019 / एफसीए / प्रमुवरां / 879-80 दिनांक 10.03.2021 से आलीच्य प्रकरण में राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार

्राजना रिपॉट निर्धारित प्रपन्न में तैयार कर भिजवाई जा रही है।

\$ (f.	थाट निर्धारित प्रपंत्र म तैयार कर भिजवाई जी रहा है।	पालना रिपोर्ट
	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगे।	
1	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की विना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया ^८ है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्पा नहीं लगाया जावेगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को स्सोई मैस / कंदोरोन देज अधीर्त की जायेगी ताकि निकटनर्ती तनो वन शांत न ता	
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अति। धन	Undertaking प्रस्तुत कर

JAFC cable

Page 225

	आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान गिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया	
8	जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	्विया गया छ।
9	प्रयोक्ता अभिकरण, रौद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	पुर पुर गर्न ए।
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	िदया गया है।
11	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24. 07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11. 2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्तर	समाचार पत्र की प्रति संलग्न कर दी गई है।
12	उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भारत सरकार के आदेश कमांक एफसी —11/165/ 2019एफसी दिनांक 27.07.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों की अनुपालना करें।	यूजर एजेंसी द्वारा दिशा-निर्देशी की पालना की जावेगी।

तलन-उपराक्तानुसार (३ प्रति में)

भवदीय (मुकेश सैनी) उप वन संरक्षक, उदयपुर

इमांक:--एफ()/तकनिकी/उ.व.स.उ./20-21/ दिनांक:--प्रतितिपि:-अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान जयपुर को उनक संवर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

> उप[ं]वन संरक्षक, उदयपुर



शपथ पत्र

Project Name: Diversion of 0.3648 ha. of forst land in favour of Dinesh Ingineers Ltd. for laying of underground optical fiber cable along the road within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 58.285 58.285 km (Gogunda-Kirat Road) District Udaipur, Rajasthan.

Proposal No.: (FP/RJ/OFC/43686/2020)

Applied Area: 0.3648 Ha.

मनके Rakesh Kumar शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

- यह है कि मिकर एक भारतीय नागरिक है।
- यह है कि मिकर दिनेश इन्जियरिंग लिमिटेड का ॲटानी होल्डर है।
- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।




याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पितयों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षिति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमित है।

- 6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमित के नहीं काटा जावेगा, उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमित है।
- 7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमित है।
- 8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/ स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, जाकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमत है।
 - प्रयोक्ता अभिकरण आप द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है। यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

उक्त बिन्दु की पालना के कम में वनाधिकार अधिनियम के तहत् वांछित एफआरए सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न कर दी गई है।

- 12. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमित का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमित है।
- 13. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

SGINE STARTU



9.

Proposal No:- (FP/RJ/OFC/43686/2020)

Applied Area: - 0.3648 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन / 2020 दिनांक 8.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना मे वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

> (मुकेश सैनी) उप वन संरक्षक उदयपुर

जिल्ला भवदीय उप्रोक्त अविश्व भवदीय चित्र प्रिक्ट अविश्व भवदीय Deputy Manager Dinesh Engineers Limited

Proposal No:- (FP/RJ/OFC/43686/2020)

Applied Area: - 0.3648 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2 का वचन बद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन / 2020 दिनांक 8.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमित है।

८.५ (मुकेश सैनी) उप वन संरक्षक उदयपुर

(Rakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Proposal No:- (FP/RJ/OFC/43686/2020)

Applied Area: - 0.3648 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन/2020 दिनांक 8.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना मे याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

केश सैनी)

(मुकेश सैनी) उप वन संरक्षक उदयपुर (Rakesh Kumar)

Deputy Manager Dinesh Engineers Limited

Proposal No:- (FP/RJ/OFC/43686/2020)

Applied Area: - 0.3648 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन/2020 दिनांक 8.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना मे प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमित के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमित है।

> उप वन संरक्षक उदयपूर

(Rakesh Kumar) Deputy Manager

Dinesh Engineers Limited

Proposal No:- (FP/RJ/OFC/43686/2020)

Applied Area: - 0.3648 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन/2020 दिनांक 8.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना मे यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

(मुकेश सैनी) उप वन संरक्षक उदयपुर

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Proposal No:- (FP/RJ/OFC/43686/2020)

Applied Area:- 0.3648 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 का वचन बद्दता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन / 2020 दिनांक 8.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना मे यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस / केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, तािक निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

(मुकेश सैनी) उप वन संरक्षक उदयपुर

(Rakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Proposal No:-(FP/RJ/OFC/43686/2020)

Applied Area: - 0.3648 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-7 का वचन बद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन / 2020 दिनांक 8.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना मे यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस पास की वन भूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

(मुकेश सैनी) उप वन संरक्षक उदयपुर

(Rakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

GINE

Proposal No:-(FP/RI/OFC/43686/2020)

Applied Area: - 0.3648 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 का वचन बद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन / 2020 दिनांक 8.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना मे यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

> (मकेश सेनी) उप वन संरक्षक उदयपुर

kesh Kumar) Deputy Manager

Dinesh Engineers Limited

Proposal No:- (FP/RJ/OFC/43686/2020)

Applied Area: - 0.3648 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-10 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन / 2020 दिनांक 8.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (10) की अनुपालना मे राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमित का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमित है।

(मुकेश सैनी) उप वन संरक्षक उदयपुर

Rakesh Kumar)

Deputy Manager

Dinesh Engineers Limited

JAIPUR

Proposal No:- (FP/RJ/OFC/43686/2020)

Applied Area: - 0.3648 Ha

सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—11 का वचन बद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन/2020 दिनांक 8.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (11) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

(मुकेश सैनी) उप वन संरक्षक उदयपुर

(Rakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Proposal No:- (FP/RJ/OFC/43686/2020)

Applied Area:- 0.3648 Ha

सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—12 का वचन बद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन/2020 दिनांक 09.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (12) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफसी–11/165/2019—एफसी दिनांक 27.07.2020 में दिशा—निर्देशों की अनुपालना की जावेगी।

८:५ (मुकेश रोनी) उप वन संरक्षक

Deputy Manager Dinesh Engineers Limited

भवदीय



कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

क्रमाकः प.39/1()राज./वना./2021///27

दिनांक 19.07.2020

निमित्त.

Dinesh Engineers Ltd. DEPL House, Neighnourhood Shopping Complex, Sector-4, Nerul-W, Nevi Mumbai-400706

विषयः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के परिवर्तन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि आपकी फर्म का गोगुन्दा—िकरट मार्ग पर अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। उक्त मार्ग में वन विभाग की भूमि भी आ रही है, जिसमें से उक्त लाईन बिछाने के लिये वनाधिकार अधिनियम के तहत एफ.आर.ए. प्रमाण—पत्र जारी करने का निवेदन किया गया है।

इस संबंध में लेख है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के बिन्दु संख्या—3(2) के अनुसार केवल राजकीय प्रयोजनार्थ ही वन भूमि का प्रत्यावर्तन किये जाने का प्रावधान है। अतः यदि आप द्वारा राज्यादेश से ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है तो राज्य / केन्द्र सरकार के कार्यादेश की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

है) ^) (ओ.पी.बुनकर) अति.जिला कलक्टर, उदयपुर

निक नवज्योति

गुड़ी पड़वा पूजन संपन्न, आज गवरी चौक पर रंगोली



ब्यूरो नवज्योति, उदयपुर। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति की रुवार को गुड़ी पड़वा पूजन किया । इसके तहत किए गए हवन में कोरोना से मुक्ति की कामना करते हुए आहृतियां दी गई। पंचवटी स्थित आलोक स्कूल परिसर में दोपहर करीब 2.15 बजे हवन व गुड़ी पड़वा मनाया गया। डॉ. प्रदीप कुमावत ने बताया कि गुड़ी पाड़वा भी चैत्र शुक्ल एकम को प्रारम्भ होता है। गन्ने की फसल पकने के साथ गुड़ बनाने की जो व्यवस्था है उसके आधार पर गुड़ी पड़वा का महत्व है। वैदिक मंत्रों के साथ हवन कर 101 आहृतियां दी गई। मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद

के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (उत्तर-पचिम) डीडी शर्मा थे। अध्यक्षता नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉ. प्रदीप कमावत ने की।

विशिष्ठ अतिथियों में राजश्री गांधी, संजीव भारद्वाज, हरिशंकर तिवारी, दलपत जैन, सती भटनागर, प्रान्त व्यास, पष्पा टांक, नारायण चौबीसा, निश्चय कुमावत, प्रतीक कुमावत, शिवसिंह सोलंकी, भूपेन्द्र सिंह भाटी आदि उपस्थित थे। नववर्ष समारोह समिति और भारत विकास परिषद मेवाड की ओर से शुक्रवार शाम को सेक्टर-13 स्थित गवरी चौक पर शाम छह बजे माटी के रंग के अन्तर्गत रंगोली का आयोजन होगा।





ारूकता अभियान जारी



ार जैन मंदिर के सन्त ोकाकरण कैंप में 138) के रवि कुमावत ने नोहरा में टीकाकरण राज ने की।शिविर

> र से 4 दिवसीय पीण विधायक पेंटर महिला ाजान भवन



यहां आज लगेगा शिविरः भोईवाड़ा स्थित राजमाली समाज के नोहरे में शुक्रवार सुबह 10 से सायं 5 बजे तक टीकाकरण शिविर लगाया जाएगा। भारत विकास परिषद, सुभाष-शाखा की ओर से शुक्रवार को सेक्टर-5 स्थित रेंडक्रॉस सोसाइटी भवन में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक टीकाकरण शिविर लगाया जाएगा। शिया दाउदी बोहरा समाज की संस्था अंजुमन-ए-बुरहानी और पब्लिक रिलेशन कमेटी की और से फतेहपुरा स्थित बुरहानी मस्जिद परिसर में शुक्रवार को टीकाकरण होगा। महावीर सेवा संस्थान एवं जेएसजी कल्पतरु की ओर से शनिवार को न्यू अहिंसापुरी स्थित वाचनालय भवन में टीकाकरण शिविर लगाया जाएगा।

सिन्धी भाषा, संस्कृति दिवस कल

ब्यरो नवज्योति, उदयपर। भारतीय सिन्ध सभा की ओर से 10 अप्रेल को सिन्धी भाषा एवं संस्कृति दिवस मनाया जाएगा। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हए बडा आयोजन नहीं होगा। महानगर अध्यक्ष उमेश नारा ने बताया कि इस साल कोराना महामारी के बढते प्रकोप को देखते हुए संयुक्त रूप से बड़ा कार्यक्रम न करके शहर के विभिन्न नगरों में छोटे स्तर पर कम लोगों की उपस्थिति में सांकेतिक कार्यक्रम किए जाएंगे।

सन्त कंवरराम जयन्ती पर घर-घर होंगे आयोजन

सन्त कंवरराम सिन्धी मोहल्ला पंचायत के अध्यक्ष राजेश खत्री ने बताया कि इस वर्ष कोरोना की वजह से सन्त कंवरराम जयन्ती धुमधाम से नहीं मनाई जाएगी। सोशल डिस्टेंस रख कर साधारण रूप से सन्त कंवरराम साहिब का जन्मदिन 13 अप्रेल को सन्त कंवरराम कॉलोनी में घरों में ही मनाया जायेगा।

रख्यावल-विटोली पंचायत कार्यकारिणी घोषित

उदयप्र। विप्र फाउण्डेशन युवा प्रकोष्ठ राजस्थान प्रदेश जोन- 1 के प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र पालीवाल की अनुशंसा पर पूर्व देहात जिलाध्यक्ष गणेश नागदा ने पंकज नागदा को विप्र फाउण्डेशन युवा प्रकोष्ठ के रख्यावल-विठोली पंचायत का अध्यक्ष एवं राधेश्याम पालीवाल को महामंत्री के पद पर नियुक्त किया है।

कार्यकारिणी घोषित

उदयपुर। अखिल भारतीय कलवार कलाल कलार महासंघ की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इसमें उदयपुर से प्रवक्ता नरेश पूर्बिया, सचिव सूर्यप्रकाश सवालका को बनाया है।

परण सिंह देवडा जिलाध्यक्ष

उदयपुर। भाजपा राष्ट्रवादी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रमजीत ने पुरण सिंह देवड़ा को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है।

कार्यालय नगर निगम उदयप्र (राज.)

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भूखंड संख्या 293 जो योजना हिरणमगरी सेक्टर-4 उदयपर में स्थित है जिसका आकार 1250 वर्गफीट है। इस भुखंड की प्रार्थी श्री देवीलाल पिता श्री शंकरलाल शर्मा निवासी 283. हिरणमगरी सेक्टर-4 उदयपर (राज.) ने अपने नाम पर लीज डीड जारी करने हेत् इस कार्यालय में दिनांक 18.03.2021 को आवेदन प्रस्तृत किया है।

पूर्व में उक्त भूखंड नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के द्वारा दिनांक 28.09.1980 को दिया गया। वर्तमान में उक्त भूखंड प्रार्थी के नाम पर ही आलेख में दर्ज है। इनके द्वारा उक्त भूखंड के स्वयं के नाम के आवंटन पत्र एवं शपथ पत्र के दस्तोवज के आधार पर अपने नाम पर लीज डीड चाही गई है। अत: समस्त आम-खास को सूचित किया जाता है कि उक्त भूखंड की लीज डीड प्रार्थी श्री देवीलाल पिता श्री शंकरलाल शर्मा के नाम जारी करने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन के सात दिनों के भीतर इस कार्यालय में लिखित में प्रमाण्ता दस्तावेजों के साथ प्रन्यास शाखा में प्रस्तुत करें। बाद समाप्ति अवधि लीज डीड जारी करने की कार्यवाही नियमानुसार कर दी जाएगी। सूचित रहे।

आयुक्त नगर निगम, उदयपुर

राजस्थान सरकार वन विभाग

जयपुर, दिनांक : 09 March, 2021

क्रमांक. : प. 1 (134) वन/2020 राजस्थान, जवपर।

> विषय:- Diversion of 0.3648 ha, forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. for laying of underground Optical Fiber Cable along the road within existing ROW from KMS-0/0 to KMS 58.285 = 58.285 Km (Gogunda-Kirat Road) District- Udaipur, Rajasthan, Proposal No - FP/RT/OFC/43686/2020

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ 14 (415/37)2020/एफंसीए/प्रमुवस/2445 दिनांक 03.09.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Dinesh Engineers Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वींकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु 0.3648 हेक्ट्यर वन भूमि अध्यावर्तन की स्वीकृति वाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.3648 ha. forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. for laying of underground Optical Fiber Cable along the road within existing ROW from KMS- 0/0 to KMS 58.285 = 58,285 Km (Gogunda-Kirat Road) District- Udaipur, Rajasthan की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगे। प्रत्यावितित क्षेत्र में रापित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पूर्वान्तित के नहीं काठा जाये। उक्त क्षेत्र में गीपित पढ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। 5, प्रवोक्ता अभिकरण हारा प्रस्तावित स्थलावनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों स्टाफ पड आरप्यक हान पर वा विभाग कर होगा के उसीमा किया है। के लिए किसी भी प्रकार का कैस नहीं लगाया जाएगा 6, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदरों स्टाफ को ग्सोई गैस केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। 7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। 8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागु सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगा। 9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एक आरा, सर्दिकिक राज्य करावेगा। तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। 10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 11. भारत सरकार व पत्रांक 7-23/2012/एकसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल हारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालि के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें। 12, भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफसी-11/165/2019-एफसी दिनांक 27.07.2020 में विये गये दिशा-निर्देशों की अनुपालना करें।

(बी. प्रवीण) शासन सचिव

ISIDC will reserve the right to cancel the tenders at any time without gning any reasons.

No: 14PP/CL/ADVI/1/1/2021-22 Dated: 09.04.2021

SD/- for Managing Director

PROFIT-: 50 -S0 Franchise fees 02 Lakhs+GST nip. Experi faculties on mont & Salary by com 7290068542

to qualify:

 Plant must be operational Plant should have Machinery setup from milk storage to Panner & cream/butter production

Contact: 8882683272

TIMES inter ac

personal

CHANGE OF NAME

RAMA Arya W/O Hasti Mal Arya D/O Girdhari Lal Nogia, residing at 18E/403. CHB Jodhpur, states that In Passport my name Rama Ben Arya and DOB 04-04-1962 are incorrect. As per Andhar/Pan Card, my Name and DOB are ' Rama Arya & 04-11-1962', which are correct to the best of my knowledge.

I, Irfan Mohammad Khilji S/O Abdul Sattar Khilji, R/O T-3/15-M, Anukiran Colony Rawatbhata, declare that my name is incorrectly written on

passport as IRI MOHAMMED KHILJI correct name is IRFAN MOHAMMAD KHILJI. To book your advertisement, 29278812222 | Log In: https://ads.timesgroup.com

eal estate

FOR SALE

JAIPUR

TPURA JDA Appro-heme Akshay Parth Ring Road, Agricultu-od, commercial, resi-Plots, Villa, Flats Pirchase Contact-a-2003933200, Shivam-918

TTRAKHAND

OOL in running on for sale in Dehradun anagement shifting to city. cont-9897552677

PROPERTY

ASE & RENT

oft ground floor space e for restaurant/cafe e location C-scheme. Hotel Shikha

jobs

ITUATION VACANT

MEDICAL

MEDICAL

ucation

siness

INANCE

d Monthly returns g in Future Options ommodities in our to 8% starts with account minimum duily 1 Client refe-f. Sacaf 9167389973

Readers are recommended to make appropriate enquires and seek appropriate advice before sending money, incurring any expenses, acting on sending money incurring any expenses, acting on commitment of the properties of the propert

tender & notices

PUBLIC NOTICE

आम सूचना

अगम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता
है कि मेरे ऑफ्रोमाण्य शेखर चन्न जैन
पुत्र रन भी जामण्यक रागिणानी
मिनाती 120/157, विजय स्थार मानारारों वर, जनपुर के हैं मेरे
अफ्रिमाण्य का पुत्र सीहित जैन मेरे
अफ्रिमाण्य का पुत्र सीहित जैन मेरे
अफ्रिमाण्य के अपने पुत्र रोहित
के अपने पत्र के हमें में नहीं है इस्तिल्ए
मेरे अफ्रिमाण्य ने अपने पुत्र रोहित
के अपने पत्र विचार कर सामित्र स्थार
में वेदकाल कर विचार है इस्तिल्ए अन्य
कर्मा है तो मेरे अफ्रिमाण्य की कोई
मिक्रमेवारी नहीं होली।
नितरेश पाएण एवबीकेट, जयपुर
112/127, समतीर्थ मार्ज, अग्रवाल
कार्य, मानतरोवर, जयपुर I GITA RANI GHOSH 15
Mother of Army No.
15821421N Rank NK Name
PRASANTA GHOSH Unit. 22
GUARDS C/O 56 APO 1 hav
changed my Name my Son
army service record from
GITA GHOSH to GITA RANI
PROSP BEFORE MITA Public
Nousar Tawar (Rajasthan). I, Santosh Shekhawat (Existing Name of spouse as per change of Next-of-Kin PGR. Service Documents), spouse of Next-of-Kin PGR. Service Documents), spouse of the service of

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर कृष्णवार्यन-(आर्था-कि-हिन्क-(आर्था-क्षार्था-विकास प्राधिक हिन्दक-(आर्था-क्षार्था-विकास प्राप्त क्षार्था-विकास जात है कि विवास द्वारा पात्री प्रकार निकास कर्मायान्य कर्मायान्य विवास द्वारा पात्री प्रकार निकास कर्मायान्य विवास द्वारा पात्री प्रकार निकास क्षार्था-विकास कर्मायान्य विवास द्वारा पात्री प्रकार प्रकार क्षार्था-यान्य कर्मायान्य क्षारा पात्री प्रकार प्रकार क्षार्था-प्रवास क्षार्था क्षार्था क्षारा प्रवास क्षार्था क्षार्थी क्षार्यी क्षा्थी क्षार्थी क्षार्थी क्षार्थी क्षार्थी क्षार्थी क्षार्थी क्षार्

कार्यात्व उच् आवासन आयुक्ता, वृत्त दितीय कल्पान आवस्थ मध्यस, अवसार कर्म, मानस्तेवन, वयुर dhcipr2.rhb@rajasthan.gov.in म्बन्ध: DHC-8/20

प्रशासन करना का का किया के प्रतिक्त के प् IN army service ducuments of mv late husboul army no 1988285B EX NK (late) umrao mal kumhur the name of my daughter has wrongly been mentioned as priyanka instead of priyanka prajapat bridder of birth is also ment of 28.12.2000. also my ment of 28.12.2000. also my ment of 28.12.2000. also my ment where as my correct name is BHANWRI where as my correct name is BHANWRI DEVI.

I No-2707788N Rank NK Lakhan Singb Chahar S/o Natthi Singh Add-2, Grena-diers Vijay Dwar Varishali Nagar Jaipur in my Army Service Record my Wife Name Gori Devi Recorded which in Wrong her Correct Name is Gauri Devi.

LOST & FOUND

I, Pallak Jagga R/O 3/101 SFS Mansarovar, Jaipur (RJ) -302020 have lost my 1st Year Marksheet and Diploma Certificate from IMT-CDL (Eurolment No. 1221000808). FIR No. 1074382/2021

tender & notices

भीम

राजस्थान सरकार

वन विभाग

153

कार्योह: .4 (134) बय(2020 जरपुर, दिनांक : 09 March. 2021 प्रमान पुष्ठक बन संख्यक (HOFF) जरपुर, दिनांक : 09 March. 2021 प्रमान पुष्ठक बन संख्यक (HOFF) प्राज्ञकारा, बच्चुप्र, दिनांक : 09 March. 2021 प्राज्ञकारा, विच्या कर्षांका (HOFF) Engineers Edd. for laying of underground Optical Fiber Cabbe along the road within existing ROW from KMS- 00 to KMS 58.285 - 58.285 Km (Gogunda-Kirnat Road) Districts Underground (Hoff) (

संदर्भ आपका बनांच एक 14 (415/37)/2020 एकसीए/प्रावा2/445 दिगांक 0.1 09/2020
सरंदर,
अपोक विषयानमांच संदर्भित अरुवा में Dinesh Engineers Limited (प्रयोक्त अभिकरण) हुएत वस संस्कृत अधिनियम 1980 के अन्तर्गत
सामान्य वर्षपूर्व के तहा आप. 2 DOPC Cable Line हैं 9.1548 हिंदर पर पृत्ति प्रसाववर्धन की विश्ववित साम गई से संदर अभिकरण प्रवास
अधिनियम हाण प्रसाद के लिए अरुवा प्रवास के प्रवास का स्वित के स्वास अपाय 2 के अरुवा के स्वास अधिनियम हाण प्रसाद के स्वास के प्रवास का स्वास का स्वित के स्वास का प्रयोक्त के स्वास का प्रवास का स्वास का स्वस का स्वास का स्वस का स्वास का स्वस का स्वास का स्वास का स्वास का स्वास का स्वास का स्वास का स्वस का स्वास का स्वास का स्वास का स्वस का स्वास का स्वास का स्वास का स्वास का स्वास का स्वस का स्वास का स्वस का स्वस का स्वास का साम का स्वास का स्वस का स्वास का स्वास का स्वास का स्वास का साम क

TOI

TUTORS LOOKING FOR STUDENTS.

HERE'S A SIMPLE METHOD.

PERSONAL TUTOR

Presenting Times Personal Tutor, on educational classifieds section for private tutors to advertise their services. Reach out to those parents who are looking to get their children tutored privately.





ADO-130 SQ. CM. ADS
IN CLASSIFIEDS
AT AFFORDABLE RATES
REACH STUDENTS IN YOUR
AREA THROUGH HYPER-LOCAL
TARGETING



USE TOP'S MASSIVE REACH IN URBAN, AFFLUENT HOMES

TIMES interact

Payal (Jaipur): 9929299555 | Shiv (Jodhpur): 9928024600 Manish (Udalpur): 9925121211 | Bhupendra (Kota): 9828181789 Ram (Ajmer): 9983229065 | Nirmal (Alwar): 9983866050



FORM-1 (For linear projects) Government of Rajasthan

Office of the District collector UDAIPUR

No. F.39/1() Rev/FRA/2023/ 690 -92

Date: - 24 .02.2023

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment and forests (MoEF). Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEFissued guidelines on submission of evidence of having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006(FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5 February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It has been certified that a total area 0.3648 Hectares of forest land is proposed to be diverted in favor of Dinesh Engineers Limited Udaipur laying of Underground optical fiber cable for village Padavali kala sub division Gogunda District udaipur (purpose for diversion of forest land) for laying optical fiber cable in line comes under the jurisdiction of village Padavali kala Gogunda Tehsil.

It is further certified that: ~

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.3648 Hectares of forest area proposed from the from gram panchayat Padavali kala.
- (b) A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub-Division Level committee (s) and the district level committee are enclosed as annexure.
- (c) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (d) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl:- As above

(Tara Chand Meena) District Collector, Udalpur

Copy forward to-

D.C.F. Udaipura.

S.D.M. Gogunda..

Dinesh Engineers Limited udgipur.

District Collector, Udaipur

1002

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

दिनांक:-14.06.2021

क्रमांक:-राजस्व/2021/ 526

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदया, उदयपुर ।

विषय:-अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत् वन भूमि के परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैसर्स दिनेश इंजिनियर्स लि० इन्फास्ट्रक्चर प्रांवाईडर (आईपी—1) द्वारा गोगुन्दा किरट मार्ग पर अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर केबल बिछाने के कार्य के मध्य वन भूमि स्थित होने से वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए तहसीलदार गोगुन्दा की रिपोर्ट के कार्य के मध्य वन भूमि स्थित होने से वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए तहसीलदार गोगुन्दा की रिपोर्ट के कार्य के मध्य वन भूमि स्थात होकर वन ब्लॉक बलदीया के नाम से अधिकार प्रस्ताबित भूमि पटवार मण्डल पड़ावली कला में स्थित होकर वन ब्लॉक बलदीया के नाम से जानी जाती है। परन्तु उक्त भूमि अनसेटल्ड है, जिसका राजस्व रेकर्ड पड़ावली कला में कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।

अतः तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संलग्न कर श्रीमान् की सेवामें

प्रेषित है।

(नीलम लखारा) उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा उदयपुर 110450411

হাজस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार गोगुन्दा जिला उदयपुर

दिनांक + 14.06.2021

क्रमांकः राजस्व / 2021 / 37)

निमित्त-

🗸 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय गोगुन्दा जिला उदयपुर

> विषय:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के परिवर्तन के संबंध में।

प्रसंग- श्रीमान का पत्र क्रमांक: 326 दिनांक 26.03.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन हैं कि मैसर्स दिनेश इंजिनियर्स लिंध इन्फ्रास्ट्रक्कर प्रोवाईडर (आईपी-1) द्वारा गोगुन्दा किरट मार्ग पर अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर केवल बिछाने कार्य प्रस्तावित हैं। उक्त मार्ग में वन विभाग की भूमि भी आ रही हैं। उक्त संबंध में पटवारी पटवार हल्का पड़ावली कलां से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गयी। पटवारी पटवार हल्का पड़ावली कलां के द्वारेंग प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि वन ब्लॉक बलदीया के नाम से जानी जाता हैं। परन्तु उक्त भूमि अनसेटल्ड हैं जिसका राजस्व रेकार्ड पड़ावली कला में कोई रेकार्ड नहीं है।

अतः श्रीमान को रिपोर्ट सादर प्रेषित हैं। संलग्न— पटवार हल्का मूल जांच रिपोर्ट।

तहसीलदार गोगुन्दा जिला उदयपुर

त्रीसान्द्र तटसीलदार शाटन तटसील भीत्रुन्दा

विषय:- अनुसूचित जानाति और अन्य परम्पवासत बना निवासी (बन माधेकारी भी मान्यता) आधीनियम, २००६ की तहत जन श्राप्ती की परिवर्तन की संबंध में।

प्रसंश: भीमान के पत्र क्रमांक: शास्त्व / विविद्य / २०२। / 367 हिनांक 8-6-२०२। के क्रम में |

सहोदम औ

उपमुक्त विषयान्तर्शत मासंगीक पत्र के सन्द्रम में लेखा हैं जि प्रासंगीक पत्रानुसार मैसली विनेश हं जिनियर लि: इन्मास्ट्रस्य र अभी मुक्खाई के द्वारा गोमुन्दा किन्न मार्ग पर अण्डर भाग्नड ऑफीकाल फार्रखर केवल विद्याने का कार्य प्रस्तावित हैं। एवं मस्तावित भूमी जन हलांक बलदीया के नाम से जानी जाती हैं। पर्यन्तु उत्तर भूगी मनसेटलंड है जिसका राजह्व रेकड पडाकी कर्ला में कोई रेकड़ नहीं हैं।

अतः विपोर्ट शीमान की नेवाने पेश हैं।

प्राप्तः १०-६-२०२१ घटवारी पडावती करलां

A 64

11/6/204

Pana pol Chies Comervator of torests or chier conservatoral Porcess appolited conservation.

- dequalinear projects invests projects involving linear diversion of furest land to pur nelige mades pipe in symptomics on three ele
- (C) Mentes aneous amember of the Committee.
- (c) Especial Company metric any amounting below the name of Conservator of the Tothorized synthe state government to deal with the forest conservation matters
- (O) Tregional Office" mesijo u Regionali Office of the Central Government in the Ministry eanvironmentander organis established sad part, or the "Vinisity" to deal with this for conservation maners under the Acts
- (E) Stripen in Fancin Scotlanial Dis Ault
- (p) Ther-Avency smean cary person organismon or Company of Department of the Comor State Covernment in the proper constituence designification of Constituent ellonelorest pumpes etoroging, rore strand stylenorestorest pumpose un describing eviden States for propriet by the General Gavenoneric under the Pactor the rules
- 3;=400 and thional the Computation
- (40) In Committee that the composed of the following members
 - (E)(Enrecto): Generali of Bronesis:
- Administration of Association and Association Chairperson
 - (ii) editional Directors received increase
 - Ministry of Environmentancy i otests
 - (iii) additional commissions (soft conservation)
 - Approprietation
 - (iv) fin egyptisoti siletidista bira yiro shall boʻometi.
 - Onese Crantiforningsic parting lateration and
 - Povelopinen Francisco
 - cyplic product constitution and defendance along
 - Milyilati ya kilayi ganci ni apada njega .

Members

Member

Member

Membel Secretar

Cabitional Elicetof Coreign of Sporesian Spore as dis Chaurperson in the abuse Director General Serio etc

derina of appointing profession of the infragembore abail he arisollows.

- Samondotheminismae alli illihiolichis viillearor espeljadiors we vanna
- of the first of the control of the c in all grades and conflicted for court of pays on as princingly offence. Dively

₽

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर

कमांक / विविध / 2021 / *S* -2 *६*

दिनांक 02.07.2021

निमित्त.

राजस्य

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जदयपुर

हिं। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरायत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के परिवर्तन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैसर्स दिनेश ईंजिनियर्स लि. ईन्फ्रास्ट्रक्यर प्रोवाईडर (आईपी—1) जयपुर उपखण्ड क्षेत्र झाडोल के ग्राम भंवरिया के खसरा संख्या 477, 478, 179, 01 किता 4 वि विभाग एवं ग्राम उपरेटा के खसरा संख्या 4, 5, 6 एवं 10 किता 4 वन विभाग से नाम खातेदारी में दर्ज होकर उसमें से फर्म अन्दर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है।

अतः तहसीलदार झाडोल एवं भू-अभिलेख निरीक्षक वृत ओगणा की भूल ही रिपोर्ट संलगन कर श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। संलग्न:- जपर्युक्तानुसार किता-2

> उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उद्धिपुर (शज्0)

कामलिय तहारीलदार (भू का) अविल जिला बुद्धमु 西田市: 武河 2021/2034 Te. 01-07-2021 जोषीते : श्रीमान उपविषय अधिकारी महोदयः भाडोल विषय: अनुद्वाचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की भान्यरा) अद्धिनियम २००६ के तहत श्रीम के परिवर्तन के सम्बन्ध में अमंग - श्रीमान कामल्य का पत्राकं विकिन्दा/2021/478 Ro 22.06,202) , महोदपा, उपप्रकत विषयान्तर्गत मेसरिविनेशई जिनियर लि ईन्फ्राक्ट्रक्चए पोवार्ड उर (द्वाईपी ।) अभुर द्वारा उप-खण्ड भेज आडोल के ग्राम भवरिया के खामा है. 477, 478,479,01 किता 4 वन-विभाग एवं शाम उपरेटा के जमरा हो. 4,5,6 एवं 10 कीता 4 वन विभाग हे नाम खातेदारी में दंजी होका उत्तमें ते फर्ल हारा अन्दर केवल विद्योंने का कार्य प्रताविते हैं। अतः भू अ निरीहाड वृत्त क्रोगण की रिपोर्ट अनुसार भूमि घन विभाग में अन्त कार्य हेत माणीम कार्यवाही हेड निपार ही मान की ऐवा ने जाबत है। त्रक्षीत्रवंष्

व्यालान भूति निरीक्षा वृत्त 'क्रीगणा की सिपोर्ट

व्याम AMIN CIENTER WITER TE State (n. 3545 (Kin) (वस्मः - अद्वर्यम्म जनमानि द्वेत अम् प्रम्पराश्च वन विवाली (वन् अभिकारों की मानाका) अपिनिमम् २००६ के तरत बन प्रिक्त 1410/1: montres/ properties of interfol 21/2026 (3:24/06/21 3 उपरोक्त विक्सान्तामि / पंतार् के निषेत्र है प्रान्ता मेमर्स (देने महादग्री इिन्निम्म कि इन्माम्स्यर -जी सम्बं के द्वारा शामान गाम भेपिया भाग 51/3/ Venc noscy - World 10/ 92 3105 3110 mor with ने निर्धान मा नार्स अववित्र है। उक्त पुरतातित अवडि के प्रकार का पना करता त्यादा के राजात के लाइ में में स्थाप के रहता है. 474, 478 479 01 िम्या १ वृत् विकार के निष्ठ दर्भ विकार के प्रमान के वार्षा के अवार्षा के निष्ठ हैं ्राम अरबर कारका। र 4,5,6, 10 किया वर्ष वर्ष विकास वर्ष रे-4 कार्य के नाम देश दिलाई से उरोकता नाम के किन ही उक्त नाम िमानित कारा मिला के अंग्रह के अंग्रह कियत विकार मा नाम किया जान है। याता दियोर्ड की मान की उद्योग के छ। के उपक्षिण 26166/27 Juni

्रे ही. अ कि उर्गमा। तह अगडोल

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

क्रमाकः प.39/1()राज. / गै.व.प्र. / 2021 / / 7 ह 7

दिनांक *0*/ .0**5**.2022

निमित्

उप्रखण्ड अधिकारी, झाड़ोल।

विषयः मैसर्स दिनेश ईजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में।

प्रसंगः आपका पत्रांकः राजस्व/21/526 दिनांक 02.07.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा मैसर्स दिनेश ईजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में प्रस्ताय प्राप्त हुआ है। किन्तु उक्त प्रस्ताव के साथ उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंबा रिपोर्ट एवं संबंधित ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं की प्रतिया संलग्न नहीं है।

अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि मामले में उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंधा रिपोर्ट एवं संबंधित ग्राम पंचायतों की ग्राम समाओं की प्रतियां शीघ इस कार्यालय में भिजवाई जाना सुनिश्चित करें।

> ्री (तारा चन्द मीणा) जिला कलक्टर, उदयपुर

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

क्रमाकः प.39/1()राज./गै.व.प्र./2021//७,९०

दिनांक 01 06.2022

निमित्

Ç,

उपंखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा।

विषयः मैसर्स दिनेश ईजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में।

प्रसंगः आपका पत्रांकः राजस्व/21/526 दिनांक 14.06.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा मैसर्स दिनेश ईजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत ग्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। किन्तु उक्त प्रस्ताव के साथ उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा रिपोर्ट एवं संबंधित ग्राम पंचायतों की ग्राम समाओं की प्रतियां संलग्न नहीं है।

अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि मामले में उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंधा रिपोर्ट एवं संबंधित ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं की ग्रतियां शीघ्र इस कार्यालय में भिजवाई जाना सुनिश्चित करें।

> ्र (तारा चन्द मीणा) जिला कलक्टर, उदयपुर

कार्यालय तहसीलदार गोगुन्दा जिला उदयपुर

क्रमांक:एफ / 1()राजस्व / विविध / 2022 / § 7 6 प्रेषित,

दिनांक 11.10.2022


श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, गोगुन्दा जिला-उदयपुर।

विषय:— अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने के कार्य के मध्य आने वाली वन भूमि की सूचना मय राजस्व रिकार्ड के संबंध में।

महोद्य.

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पटवारी हल्का वास की रिपोर्ट अनुसार मैसर्स दिनेश रिज. लि. इन्फास्ट्रक्चर प्रोवाईंडर द्वारा गोगुन्दा किस्ट मार्ग पर अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर के बिछाने के कार्य के मध्य वन ब्लॉक बलदिया वन भूमि स्थित होने से वन भूमि प्रत्यावर्तन की सूचना चाही गई परन्तु उक्त वन भूमि भू,अ.नि.वृत—वास के किसी भी पटवार हल्के के क्षेत्राधिकार के राजस्व रिकार्ड में दर्ज ना होकर अनसेटल्ड एरिया के अन्तर्गत आती है। जिसका राजस्व रिकार्ड में कोई इन्द्राज नहीं है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें अग्रीम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। सलग्न:- पटवारी रिपोर्ट |



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज्.)

ळूमांक:--राजस्व / 2022 / 1<u>/3</u>| प्रेषिति:-- दिनांक:--11.10.2022

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर।

16645 राजस्ब विषय:—अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम, 2006 के तहत् वन भूमि के परिवर्तन के सम्बन्ध में। प्रसंग:—श्रीमान् के पत्र क्रमांक:—प.39/1()राज./गै.व.प्र./2021/1790 दिनांक 01.06.2022 के सन्दर्भ में।

महोदय,

अतः तहसीलदार गोगुन्दा से प्राप्त रिपोर्ट, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं उपखण्ड स्तरीय बनाधिकार समिति की बैठक कार्यवाही रिपोर्ट संलग्न कर श्रीमान् की सेवामें प्रेषित है। संलग्न:-उपरोक्तानुसार

> (हनुमान सिंह राठौड़) उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा स्वयपुर

नेना में

भीषान् तहसीलदार् महोद्यः, तहसील नार्जीलय् गीगुदाः जिलां – उदपपुर (२५)/

Michan

विषमः - अन्दर गाउन जारिनत फार्रेकर केपल किहाने है नार्ष के मध्य जाने वाली वन शाम भी सूचना मल राजस्य रिकार है संबंध में।

नार्याही है के के

65/10/20 21

05/10/2022 4018 -9181 पिक्ठ भी धकारी महार्य की अब्यहाल में जिन्हींया जा प्राचित्र महार्य की अब्यहाल में जिन्हींया जा प्राचित्र में जिन्हींया जा परम्पराज्ञात वन निना ही विन्ना ही की मान्या कि व्यक्तिम 2008 की नियानिकी की मान्या कि विन्यानिकी की पालका में उपक्र की नियानिकी की पालका में उपक्र करीम विज्ञानिकार स्तिनी विक्रा की मान्या कि विक्रा कि पालका में उपक्रित की गई कि को विक्रा कि विक्र कि वि

1 श्री इनुमान विद् गाढ़ोड़ SDM रे 2 " रिवन्ड विद् - मेहान TDR रे 1 जिल्ह स्थार तिहान TDR रे 4 - अरेश यह खील 1800 वर्ष (5) " अजनारेंद्र रावाला वनकरन हर (6) प्रतिश्रास्थ वनकरन हरि 7 मनोहर सीजित प्रिन्ट स्थान

भाज भी ळेडम में में वर्ज दिना हीज निया है। को पिन्डर गाउँ पित्र मिला काईबर व्याउँन कियान हेतु बनाविका उमान परा में सम्बन्ध में अर्ज हे

यम सम्बन्ध में वहारिलमार जोगुका के आदा जल राजान्त . अफ/10 राजान विविध / 2022 है?। दिनांत 11/10/2022 के शिलांता क्यारिका कार्टिक का भार्य क्या कर्यों के कर्यामा वस स्टीब कियां

ोने में बन भीन अत्यावीन भी जाती है. किन्त उत्पाद कर्म राजान रिमार्ट के दर्ज कर्ज होंगा राजान हो करिया राजान राजान होंगा है। रिजामा राजान रिमार्ट में प्रमुख्य कही है। प्राप्त प्रमाण प्राप्ती भूमा प्रमाण के जाल हारी रिलांड कर्राकी प्राप्त की जाम खिला में अस्माल दिनमां जाकर किमामिट अमान पत्र प्रदेश दियां गयां ही नन विनाम भारा काममें ममा हि उसन प्रहिना केलक विद्वात का मार्च वर्ज अभि में बिर् होता कालीमाता के बाहर मिरी कर 3200 मेंटर हम किया जाता है। उस अपने फिलसेटएमें जिएको हात है। उस स्मिन मामेवाही हर अपज्य हररीय हारेगी इस जिलां हरीय हीसी is find the orthe in NAMES AND SOME The same of the sa तन्यां ल

I. Mark C. L. Fr

It become the golfen linear of accompany THE THE PARTY OF T Grand Standard Commencer C

The second secon Remote Veneral programme (Const.) Service of the servic rent de Suiverstragerat despuée de la company de la compan THEY CANDED NOT USED THE TOTAL The boundary of the state of th

The state of the s The The Section of th

TO SET AND THE PARTY OF THE PAR

Fig. Streetsky (4 Th.) the state of the property of the state of th nac o-min stale stale survivale survival de aminar pour contrat de a and the second s

CONTRACTOR SHOWS SHOW THE SHOW KORK TO STATE WAS IN IN (बाजसास कीणां) हाकि स्वकास आधरापी बारश्रवारत ने महिलेका) स्थानक १०००



कार्यालय ग्राम पंचायत, नाल

पंचायत समिति गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक :- चता. प्र का. \ 2028- ६३ / ३२

दिनांक ०इ /10/2088

अनापन्ति प्रमाण्- पत्र

अह समाण निय आम किया में केर हिला हो

क्षे क्षेत्रगंशात (कोगाराम) सरपंच प्राप पंचायत नास प्राप पंचायत नास प्राप पंचायत नास 102,10,22

B-02/10/2020 ઇલામાં જા सि इड्ड्डिगाडिक trall 4 आरम रिजीवा रामिक जीतिहरी देशकारीय ... 12 31 13 Pm उत्तरिहा अभेठाः एक Ald Jose Alan 18214/ 800/8310 क्ट्रिकेट इ.३.०५, ख्राट की काउ वास्ता - ज्योदी वेटाल्ट्रिक्ट्र अल्य अल 10.30 ENHAL NOOM LENER लास जीवन किशन के मेरानी हर घर जल यमाण्- एव नारी भुरक्य मंत्री विर्दिशी स्वास्ट्य कीला 10) सत्त विकास अरमी के इत्राहीप करण संबद्ध 9 विषया क यत स्टेंब नविष्ण में make <u> عرمثوری</u> J. W. क्रियक विद्यान देव किन्त करियातिको <u> 35577(F187)</u> mester leading - प्रदल् *स्थान (के* (कोगार्संग)

ر مراجع م <u>رجع می میاند</u>				
TO . E	1	MEGIN	E84800	म्झाय
<u>a/:</u>	की केगाएल मेंकी	लयं	को गाराम	
পুৰু <u>ন্</u>	जिलासम कामल	==10\u\u\u\u\u\u\u\u\u\u\u\u\u\u\u\u\u\u\u	Walson	35
03	पुनारम की	नाई पन	451071	26.
yo	्रीवा	नार्ड पन	00/00/	B
05	प्रमुत्पाल दाम्मा	3V 2K43		
06	पुष्कर पालीगल	4. 4093	কেমেই	
07	Nistra	ANM	Nou	
~ <u> </u>	प्रहेप गमेती	MAN	, पुरुष)	
08				
A		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
		·		
. 			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u> </u>	
<u>~</u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	अबह
	**************************************			B-G
·				
<u> </u>				्राष्ट्र
			•	1
V			الدران المتعارب	3-0
				-
A				. 37
			** ()	
V (3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	***			-
·				-43
\				
1				£2.2
		7	र्) । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	
		, tre	कागाराम् सरपंच न पंचायसम्बद्धाः	-
	The state of the second state of the second state of the second second second second second second second second	_ 1,54 L	A STATE OF THE PROPERTY OF THE	9-88-5-5-01

The second section of the second seco

अस्ता एए । र कार्य ज्यामस्य में सम्बद्ध 1000 9/1/1/ ÜŸ EST IN <u>~</u> 1041 रेळा होना हमेर। संस्व 21811 डी पीलाल स्टरंग एर भूग J2-114/1 सर्वस्था हरा Colletella C3772 3/27 *তভামে লেপপু* 5/012/01/01 214KMIM \$ 51 PK 3 B र स्वल (- (bai o e) 17274156 उप्रहेंब स्वीखान जिएह काजाराती सर्पंच

ः प्राष्ट्र प्रेष्टाच्यासम्बद्धाः 👡 पं.स. गोतुन्या, जि. स्वस्तुर

उत्ताज विष्यास्त्रमा में शाम प्रचापत नहार छन्छ । र्सीपन की छे रिक्त पव पर न्यामन उपनिदेवाकु महिचा उनियकारिता उपपु नाम रोगर्मी पुष्पा गामी, धरेक-भारती प्रमासी मोखी हा स्मीपन है युनुमन्दित् हैन, भिजवरि 42 -CM7 9T इप हतु भाम समा भे प्रतात वित्रा भाषा र् ग्राम्सका में चर्च के पश्चमार उपने द्यांत पनाम ना अ से सिषन डे रिकर पर हैं है। अवेदन अस्तुर होने से यीमति पुर्वासिक में मिर्म छ स्माप्त ड भाष साम अय सर्वसंख्यान 1341 2141 उत्तु मृद्धित्र 21. gr. Pa. SIX1914 Ex *"भाषश्चिपक तौ* वावधी मास्मिष्य डेन्डपया मियमा हुएला मही थेता उदला "पांच सुमा(अभ होग/रूपा डे छट डे *प्तर्भागग*त् दाइक भागा दुन घारी च्चोंबी का खेत ह्यान्डमा पला, अामली सांखा चेत्री राष्ट्राची बालीने रे अबने बड़री नाचिषात्रलः अगर्भ शना ने ग्र्(नामिषाण्य ७) भावारपुटा माताचीः विषद्या शस्त्र न्त्रित्र सुरः छ। उपसा पड़ा चुन्डला, निन्नला पांडा दुन्डला,

> किंगिरास्त्र सरपंच आय पंपायत चला

191

च्येरा भाराची अमराषास, विख पात्री घाटी नारिपाणत, -पांश दापमानार्त सुरमानार्व वारी नारित्राण्यत पण द्वीतमा निर्माण प्रस्ताय:-७६ स. चन- रोड छन्ना रोज, ना छ, मपुरीसगिभिगेल सन्ति व्याल द्यादी देने नडकी का 44719 CX ७ सन्तः साम्लीमा की व्यापकी हो पद वाली धारी तड डाम्रावाल नाव अलाव:-09 स. स्त्रः अधिमात्रारा स्ते निन्यवा दुण्डला 777 सा सामा पुरिण निर्माण तेन रोड में 14~19c-10 छा नारा नाल। सक लेखा खेत से जाल 44191-11 अस्त १९ :12. दायमानापु को इराज्स्व न्याम OF 117 हिल 1 प्रमाव: 13, रा डा भा वि, नाव छ विर विय- हे मैदार होतुः जपीर श्रावरित छ्रपाना / ्बंडानगर हरू सरपंतर पारपंतर पारपंतर पारपंतर सं

कार्यालय उपलाण्ड अधिकारी झाडोल, जिला उदयपुर (राज0) 29.07.2022 रिनाक क्रमांक / राजस्व / 2022 / 16 \$1

प्रेमिशि.

शीमान् जिला कतक्टर महोदय, **स्ट्रियप्**र

विषय:- भैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अण्डर ग्रासण्ड ऑस्टीकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु अनुस्कित जनलाति और अन्य परम्पसमत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में। एसंग:- श्रीमान् के पत्र कमांक प.39/1()राज /गै.य.प्र./2021/1787 दिनांक 01.08.2022

महोद्यः,

रुपुर्युक्त विषयान्सर्गत प्रासंमिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अण्डर ग्रासण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और रूच्य एक्यरान्त के विकसी (सन अधिकारी की भान्यला) अधिनियम, 2006 के संहत वन भूमि के प्रत्यावतंत्र के संबंध में ग्राम पंचायत काड़ा एवं ग्राम पंचायत उपरेटा की पंचायती की ग्राम समाओं की प्रतिया संलग्न कर मूल ही अग्रीम कार्यवाही हेतु श्रीमान् की रोवा में सादर प्रेवित है।

संतग्नः - उपरायतानुसार

उपखण्ड ओबेकारी झाडोल. जिला उदयपुर (राज0)

कामिक समीतवार (भूका) भारतिक मिला उर

STATE:

श्रीमान उत्पाल का किसानी अंतेष्ट्य

'काडील

मिलाइए। रार्णुकत विषणान्तर्गत मेलरिति शिहिनिने कि ईन्फान्त्रक्वर पेलर्ड्ड (शहिनी) जगार द्वाना देन एक होन मालेल के गाम भवारिया के जामा माए पार 479,01 किया 4 वन-विभाग एवं गाम उपे का उपर मं 4,5,6 एवं 10 किया 4 वन विभाग है नाम जानवारी में दर्ज होगा उत्तम ले फर्ज हार उपटर के बल विद्यान क्या कार्य प्रसावित है।

अन्ति है। इस विभाग के उनता नामिता है। इस विभाग की है।

अंग्लानः भूषः निर्देशः वृता

Charles of the same of the sam

May

ħ.

(31.66 B) 1817 (130 STINDER CO 35 NYC KIN, 7 3.26/06/21 0 3 31 m ANT CONFERENCE NOTIES TE STOP (1359) (Kin) (केला अद्यासीन अन्यानि क्षेत्र अन्य प्रमानाम वस विवासी (पण् अभिनाम के प्रायम में 1410/12/2016 (30 24/06/21) = AND 12/2016 (30 24/06/21) शहोदम् भी इिन्हिम्स कि इनकार निर्मा निर्

अस्तिक कि इस्मान स्थाप कि विद्या के निर्मा के निर्मा के निर्मा के मार्थ (देने) के इस्मान कि कि इस्मान स्थाप के अपने के इस्मा शाम के उपने के इस्मा अस्ति के इस्मान के अस्ति के उस्मान के अस्ति क

à

अर्पे के अविष के कियान की वर्ष अर्थ के किया की
विकास कर के के किए
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
ONE to BY STINGER WITH THE WARD WILLIAM
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
क्षा कार्यानी कार्र
क्रिका कार्या जाती मिलास क्रिका क्रिका क्रिका कर्या क्रिका कर्या क्रिका कर्या क्रिका कर्या क्रिका कर्या कर्या क्रिका क्रिका कर्या क्रिका कर्या क्रिका कर्या क्रिका कर्या कर्या कर्या क्रिका कर्या कर कर्या कर्या कर्या कर्या कर्या कर क्रा क्रा क्रा क्रा क्रा क्रा क्रा
May parties Sales Sales Sales Sales Sales Color
(D क्रोजिस राज्येत्व) अध्यानमामुक्ट स्राप्टेक्
(5) इन्हा देवी साक्षा इन्हा देवी
(6) अम्बार्वी के के ने बाड़ी पर अंग्रामें सहयेकार्ती का न्यपन सेव
अलाता से सीता देनी भी करते जाते केवाली - कारावी का
संकारित से सीता देनी भी० करित जांचे किंगांती -केंग्रेसी का प्यान किंगों नेपा डिलमें केंग्रेसी आंशेन वाडी केंग्रिस केंग्रिस केन्स एक के कानेपा आपा केंग्रेस आर्था और की
म्यूप्र किंदा राष्ट्र हिल्दा है कार्य किंद्र के किंद्र क
मंत्र किना गमा डिलमें देशनी आंशे नवड में मारा सिक्नार
मंत्र किया गाया डिलमें हुम्लानी आंशे नवाड हिस्सानी सिर्मेशन के मारण भीता देवी आंशे हिस्से हिस्से किया पाया हिस्से के भारण भीता देवी आंशे हिस्से हिससे
मंत्र किया गाया डिलमें हुम्लानी आंशे नवाड हिस्सानी सिर्मेशन के मारण भीता देवी आंशे हिस्से हिस्से किया पाया हिस्से के भारण भीता देवी आंशे हिस्से हिससे
म्यान किया भाग डिलमें हुम्मानी आर्थ निवास सिर्मानी की की भाग भाग होती सिर्मानी की की भाग भाग होती सिर्मानी की की भाग भाग भाग भाग की सिर्मानी की की भाग भाग भाग की सिर्मानी की
म्यान किया भाग डिलमें हुम्मानी आर्थ निवास सिर्मानी की की भाग भाग होती सिर्मानी की की भाग भाग होती सिर्मानी की की भाग भाग भाग भाग की सिर्मानी की की भाग भाग भाग की सिर्मानी की
म्यान किया भाग डिलमें हुम्मानी आर्थ निवास सिर्मानी की की भाग भाग होती सिर्मानी की की भाग भाग होती सिर्मानी की की भाग भाग भाग भाग की सिर्मानी की की भाग भाग भाग की सिर्मानी की

कार्यालय उपलाण्ड अधिकारी झाडोल, जिला उदयपुर (राज0) कमांक/राजरव, २०२२ /1659 विनाक 29-7-2022

प्रेक्षित.

शीमान् जिला कलवरर महोत्य, उदयप्र

विषय:- मैसर्स दिनेश हैिजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकलं फाईबर लाईन विछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (यन अधिकारी की मान्यता) अधिनितम २००६ के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में। एसंगं:- श्रीमान् के पन कमांक प.39/1()राज./गै.व.प./2021/1787 दिनांक 01.06.2022

यहोद्धरः,

उपयुंक्त विषयान्तर्गत प्रासिंगक एत के सन्दर्भ में निवेदन है कि मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईस विछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अण्य परम्यरागत कन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के प्रत्यावरोंन के संबंध में प्राप पंचायत काउन एवं ग्राण पंचायत उपरेटा की ग्राम राभाओं की प्रतियों एवं उपर्यक्ष रवर की समित की अनुसंग की प्रति मूल ही संवान कर अग्रीम कार्यवाहीं हेतु श्रीमान की संवा में सावर प्रेमित है।

नेलन - उपराक्तानुसार

चपखण्ड अधिकारी झाडोल, जिला चदथपुर (राजा)

भीमान किला कलकर महोदय उद्यपुर है प्रयोग पाउ९/१८)राना, भी. त. प्र. / 2021 / 1787 दिलंक 01/66/2022 है ने में में गुवसण्ड स्तरीय तिंहफ रखी गर्द | प्रमण्ड पेनायम उपरेश एवं व प्राड़ा में प्राप्त प्रस्ताव बिंहफ मी लिया गरा। | उपस्रक स्तर की यम्मेरी द्वारा मेंसर्य दिनेया इंजिनियरिंगू हो सरहर भाउण्ड ग्रॉप्टीकल पगड्णर पाइन विवान Jr 24. 1131 टीलभ लखरा 916765599 उपखण्ड ऋधिक री तस्मीनदार (सार्ष) पुलाशम मीगा 8204625611 चिकास मधिकारी छान्नो ४ स्ट्रमार डिडे)र 9828271090 forest wapt

tanjen



ग्राम का नाम :- भवरिया पटवार हल्का :- काडा भू.अभि.नि. :- ओगणा तहसील :- झाडोल जिला :- उदयपुर सम्वत :- 2077 - 2080 भूमि थारक का नाम :- राज सरकार क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर खाता संख्या नया :- 71 खाता संख्या पुराना :- 71

कारतकार का नाम:-

1. वन विश्वाप रेन्ज झाडील हिस्सा-पूर्ण वन विधाग.

	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	त हिस्सा- प्रूण वन वि भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा -	सिंचाई के	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित टिप्पणी
			CN -	संदत्त लगान	साधन	नामान्तरकरण संख्या व दिनांक
1		74.5400	पहाड 74.5400		7	नोट नं. 1 से दिनांक 16/08/2021 खसरा संख्या <u>: 1, 2, 20,</u> 25,
	2 .	0.2400	ਧहਾਫ਼ 0.2400			-26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 340, 341, 342, 343, 354,
	20	0.0500	ਬੁਛਾਡ 0.050 0 :			355, 356, 359, 360, 475, 476 <u>, 477, 478, 479, 4</u> 80, 481, 482,
	25	0.1800	ਧहਾਤ 0.1800			483, 484, 486, 487, 490/1, 491/3, 492/4, 497/24, 498/34,
. ;	26	0.1400	ਪ੍ਰਗ੍ਰਫ਼ 0.1400			500/39,501/353,502/352,503/351,505/336,506/339,
•	27 3.)	0.0400	पहाड 0.0400			525/23, 8, 9 सभी काश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006
١,	28	0.0600	पहाड 0.0600			के अन्तर्गत सामुदायिक वन अधिकारों के धारक समस्त ग्रामवासी
	29	0.(300	पहाड 0.1300			भंबरिया को अधिकार-पत्र नं0 9215/19 दिनांक 03/07/2019 से
	30	0.1000	qहाਤ O.1000			समस्त आराजी नं0 मे रकबा 564.74 हेक्टेयर का अधिकार- . एत
	31	0.1000	ਬ हा ड 0.1000			जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट लगा हुआ है
	32 .	0.1100	पहाड 0.1100			
	33	0.2100	पहा ड 0.2100			•
	340	0.3400	ਧहਾਣ 0.3400			
	341	0.0200	पहाड 0.0200			•
	342	56.6200	पहाड \$6.6200			•
	343	0.0400	पहाड 0. 0 400			
	354	0.0700	पहाड 0.0700			· · ·
	355	0.0100	पहाड 0.0100			•
1,	356 357	0.1100	पहाड 0.1190			•
	357	0.0400	ਪ ਛ਼ਤ 0.0400			
	360	0.1300	ਪ੍ਰਵਾਡ 0.1300			
	475	3.2500	पहाड 3,2500			
	476	0.6200	पहाड 0,6200			
ي.	ffin G	98.2706	पहाड 98.2700			
N	phs:	0.2700	पहाड 0.2700			
S.	1320	1.1600	ਪ੍ਰਗੜ ੀ 1,1600			
	480	0.1600	पहाड 0.1600			
	481	0.1000	पहाड 0. 1000			

प्रपत्र घी-26 (सी) (देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- भवरिया ः पटवार हल्का :- काडा भू.अभि.नि. :- ओगणा तहसीत :- झाडोल जिला :- उदयपुर

संग्वत: - 2077 - 2080 भूमि धारक का नाम: - राज सरकार क्षेत्रफल की ईकाई: - हैक्टेयर खाता संख्या नया: - 71 खाता संख्या पुराना: - 71

			खाता संख्या पुराना :- 71
482	87.6590	पहाड 87.650 0	
483	0.9500	पहाड 0.9500	· ————————————————————————————————————
व वि.रे.पानरत	श्र	:	•
484	12.9 2 09	पहाड 12.9200	
486	121.030	⁰ पहाड 121.0300	
487	103.000	- :	
490/1	1.5600	पहाड 1,5600	4 , ϵ
491/3	0010.0	पहाड 0.0100	•
492/4	0.0600	पहाड 0.0600	
497/24	0.0200	पहाड 0.0200	•
498/34	0.0200	पहाड 0.0200	•
500/39	0.0200	पहाड 0.0200	
501/353	0.0100	पहाड 0.0100	
302/352	0.0100	पहाड 0.0100	
503/351	0.0200	ਪ੍ਰਗ਼ੜ 0.0200	
505/336	0.0300	पहाड 0.0300	
506/339	0.0300	पहाड 0.0300	•
525/23	0.1200	· .	
8	0.0800	पहाड 0.1200	•
9		पहाड 0.0800	
	0.0900	ਪ हाड 0.0900	
कुल खसरे - 47	564,7400	564,7400	
TITE TOWN -1	17 m	A 1	

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।







भ्राम का नाम := उपरेटा पटवार हल्का :- थोबावाड़ा भू अभि.नि. :- ओगणा तहसील :- झाडोल जिला :- उदयपुर

सम्वत :- 2077 - 2080 भूमि धारक का नाम :- राज्, सरकार क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर खाता संख्या नया :- 291 खाता संख्या पुराना :- 288

काष्ट्रतकार के(नाम:-

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	धूमि दर्ग	करण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1 /-	0.0400	पहाड	0.0400			नोट नं. 1 से दिनांक 07/07/2021 खसरा	संख्या : <u>582 स</u> र्भ
10	0.1600	मगरी	0.1600			काश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम १ नानावाल खैर	
105	5.9900	पडत	5.9900	•		पुत्र भेरा को अधिकार-पत्र नंत (209 दिनां	क 25/09/2009
ni 11	0.0300	सड़क	0.0300			से आराजी नं0 <u>582 में</u> से रकाबा 0.48 हैकी अधिकार-पत्र	
12	0.2000	नाली.	0.2000			जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी क्रिया गर है।	।। नोट लगा हुअ
13	0.0500	मगरी	0.0500			नोट नं. 2 से दिनांक 07/07/2021 खसरा	संख्या : <u>24</u> सभी
14	0.1000	सङ्क	0.1000			काश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम द्व टालुसम	१००६ के अन्तर्गत
1435	65.7000	पहाड	65.7000			पुत्र अम्बान् को अधिकार-पत्र नं। 1207/। 25/09/2009)9 दिनांक
1436	0.8900	पहाड	0.8900.			से आराजी नं <u>0,24</u> में से स्कबा 0.32 हेक्टे पत्र	पर का अधिकार
1437	19.4700	पहाड	19,4700			जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गय है।	॥ नोट लगा हुउ
Į5 ·	0.3700	सड़क	0.3700			नोट नं. 3 से दिनांक 07/07/2021 खसरा	संख्या : 24 <u>_</u> सभी
16	0.1000	मगरी॥	0.1000			काश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2 धादरा पुत्र	:006 के अन्तर्गत
17.	0.4600	म्गरी ॥	0.4600			अम्बादा खराडी को अधिकार-पत्र नंव 12: 25/09/2009)6/09 दिनांक :
18	0.4200	मगरी ॥	0.4200			से आराजी नं <u>0 24</u> में से रकाबा 0.56 हेक्टे पत्र	पर का अधिकार
19	0.1200	रांकड़	0.1200	·		जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गय है।	।। नोट लगा हुअ
2 0	. 29.3000	पहाड्	29.3000			नोट नं. 4 से दिनांक 87/87/2021 खसरा	र्सख्या : 58<u>2</u> स र्ध
20	0.1200	मगरी॥	0.1200			काष्ट्रतकार पर वन अधिकार अधिनियम 2 धरमाबैर	:006 के अन्तर्गत
24	63.8600	पड़त दि.B	63.8600			पुत्र भेराजी को अधिकार-पत्र नं0 1204/09 25/09/2009) दिनांक
3	2.2200	पहाड	2.2200			से आराजी नं0 582 में से रकबा 0.80 हेक्ट्रे अधिकार-पत्र	टेयर का
3042	0.1700	मगरी	0.1700	19 L		जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गय है।	म नोट लगा हुः
3043	0.0600	सगरी	0.0600			नोट नं. 5 से दिनांक 07/07/2021 खसरा	पंख्या : 582 स र्भ



ग्राम का नाम :- उपरेटा प्रटवार हल्का :- थोबावाड़ा भू.अभि.नि. :- ओगणा तहसील :- झाडोल जिला :- उदयपुर

सम्वतः - 2077 - 2080 भूमि धारक का नामः - राजः सरकार क्षेत्रफल की ईकाईः - हैक्टेयर खाता संख्या नयाः - 291 खाता संख्या पुरानाः - 288

	PORT I SUM	4x	:		खाता संख्या	पुरानाः - 288
	3044	85.3000	मगरी	85.3000		काश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लानुराम
	3045	0.1900	मगरी	0.1900		पुत्र दल्लाजी को अधिकार-पत्र नं० 1173/09 दिनांक 25/09/20 09
	3946	0.0900	पहाड	0.0900		से आराजी नं <u>0 582 में</u> से रकबा 0.64 हेक्टेक्र का अधिकार-पत्र
	3322	53.9300	पहाड़	53.9300		जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट लगा हुआ है।
	35	0.5300	पडतः	0.5800		नोट नं. 6 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : 24 सभी
‡	ر مربق	67.7500	पहाड	67.7500		काश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खेता पुत्र
_	<i>5/.</i> .	0.3100	सङ्क	0.3100		अम्बादजी को अधिकार-पत्र नं0 1205/09 दिनांक 25/09/2009
	Å ⁷¹	0.0909	मगरी॥	-0.0900		से आराजी नं <u>0 24 में</u> से रकबा 0.56 हेक्टेयर का अधिकार- पत्र
\	582	113.8700	पडत	113,8700		जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किथा गया। नोट लगा हुआ है
	583	14.9500	पहाड	14.9500		नोट नं. 7 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : 24 सभी
	584	64.4000	पहाड	64.4000	·	काश्तकार पर दन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत यान्तीलाल
	585	1.9300	पहाड	1.9300		पुत्र अम्बावजी को अधिकार-पत्र नं0 1203/89 दिनांक
	586	72.2100	पहाड	72.2100		25/09/2009 से आराजी नं0 24 में से रकबा 0.32 हेक्टेयर का
	\$87	3.3400	पहाड	3.3400		अधिकार-पत्र जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गमा। नोट
	588	181,7700	पहाड	181.7700		लगा हुआ है
	589	1.6800	पहाड	1.6800		नोट नं ३ से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : <u>582</u> सभी
:	59	7.0000	मगरी॥	7.0000		कारतकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कडवा पुत्र
	590	121.9200	पहाड	121.9200		भूराजी को अधिकार-पत्र नंत 1182/09 दिनांक 25/09/2009
<u>-</u>	© √.	0.9500	पहाड ़	0.9500		से आराजी नं0 582 में से रकबा 0.80 हेक्टेयर का अधिकार-पत्र
	626	0.1000	नाला	0,1000		जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट खंगा हुआ है।
	630	0.0400	मगरी	0.0400		नोट नं. 9 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : 582 सभी
	631	0.0509	मगरी	0.0500	· .	काश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत रतनलाल पुत्र
	632	0.4300	मगरी	0,4300		दल्लाजी को अधिकार-पत्र नं० ६४९/०९ दिनांक ४१/०८/२००९
	640	42.3000	मगरी	42.3000		सै आराजी नं0 582 में से रकबा 0.48 हेक्टेयर का अधिकार-पत्र

ग्राम का नाम :- उपरेटा श्रंटवार हल्का :- थोबावाड़ा भू,अभि.नि. :- ओगणा

तहसील :- झाडोल

सम्बत :- 2077 - 2080

भूमि धारक का नाम :- राज, सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 291

againt	•	:		GROW COSTS (141) - 271			
जिला :- उदयपुर		:		खाता संख्य पुरानाः:- 288			
7	0.2200	पहाड	0.2200	ज़िला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नीट लगा हुआ है।			
8	0.0700	सङ्क	6.0700	नोट नं. 10 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : 582 सभी			
9	0.1200	सङ्क	0.1200	काश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अर्जुन पुत्र			
901	73.4000	मगरी प्रथम	73.4000	होमा को अधिकार-पत्र नंध 860/09 दिनांक 11/08/2009 से आराजी			
	•	· :		नं0 582 में से रकबा 0.64 हेक्टेयर का अधिकार-पत्र जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट लगा हुआ है।			
.·		. !	• 1	नोट नं. 11 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : 582 सभी			
,A				काश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत थावरचन्द			
			.*	पुत्र होमाजी को अधिकार-पत्र नंश 861/09 दिनांक 11/08/2009			
		:		से आराजी नं0 582 में से रकबा 0.40 हेक्टेयर का अधिकार-पत्र			
				जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट लगा हुआ है।			
		:		नीट नं. 12 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : <u>582</u> सभी			
				काश्तकार पर चन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भेरा पुत्र			
		į.		नानजी को अधिकार-पत्र नंग 867/09 दिनांक 11/08/2009			
				से आराजी नं0 582 में से रकबा 0.50 हैक्टेयर का अधिकार-पत्र			
		:		जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट लगा हुआ है।			
		. !		नोट नं. 13 से दिनाक 07/07/2021 खसरा संख्या : 582 सभी			
O		:		का श्तका र पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गंत हुसा पुत्र			
		:		हवा को अधिकार-पत्र नंत 864/09 दिनांक 11/08/2009 से आराजी			
		:		नं0 582 में से रकबा 0.32 हेक्टेयर का अधिकार-पत्र जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नीट लगा हुआ है।			
		: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		नोट नं. 14 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : 582 सभी			
		:		काश्तकार घर दन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाबुलाल			



प्रपत्र पी-26 (सी) (देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम:- उपरेटा पटवार हल्का:- थोबावाड़ा भू.अभि.नि:- ओगणा तहसील:- झाडोल जिला:- उदयपुर

सम्बत :- 2077 - 2080 भूमि धारक का नाम :- राज,सरकार क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर खाता संख्या नया :- 291 खाता संख्या पुराना :- 288

> पुत्र भेराजी को अधिकार-पत्र नंव 866/09 दिन्तंक 11/08/2009 से आराजी नंव 582 में से रकबा 0.48 हेक्टेयर का अधिकार-पत्र जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट लगा हुआ है।

कुत खसरे-49 1098.8200

1098.8200

यह प्रयत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए हैं | इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है |



幽

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

-: बैठक कार्यवाही विवरण :--

मेसर्स दिनेश ईजिनियरिंग लिमिटेड, इन्फ़ास्ट्रक्चर प्रोवाईडर द्वारा जिले के चपखण्ड क्षेत्र झाडोल ,गोगुन्दा ,ऋषभदेव एव लसाडिया मे 0.1325 हे0 ,0.3645 हे0 एव 0.6275 हेक्टयर वन भूमि में अण्डर ग्रासण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन विछाने के संबंध में आज दिनाक 30.01.2023 को जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

उक्त उपखण्ड क्षेत्रों में ऑस्टीकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु प्रभावित होने वालीं वन भृषि के संबंध में ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंका अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006. 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत सभी सदस्यों ने प्रकरण का वनार्धिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा गया कि प्रस्तावित वन भूमि के अधीन कोई व्यक्तिगत बनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही दर्तमान में बन क्षेत्र में कोई व्यक्तिगत दावा विचाराधीन है। तदनुसार उपखण्ड गोगुन्दा, झाडोल ,ऋषभदेव एव लसाडिया में अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा

	अनुशवा व	गे जाती है।	<u></u>	·		×	
क सं.	कार्य का नाम	स्र प्खण्ड का नाम	राजस्व भ्राम का नाम एवं खसरा नं.	म्राम पंचाथत का नाम	प्रमावित होने वाली वन भूमि	वन अधिकार फ्ल जारी / दावा स्वीकृत / विचाराधीन हो	विशेष विवरण
1		गोगुन्दा 	पडावलीकंला श्रानसेटल्ड)	पडावली कला	_	· <u></u> ਜਲੀ	
2		झाखोल	भवरिया, 477 ,478, 479, 01 उपरेटा 4, 5, 6, 10	उपरेटा		नही	ग्राम पंचायत द्वारा
. 3	अण्डर प्राउण्ड ऑस्ट्रीकल फाईबर लाईन	्र. ऋषभदेव	दामातालाथ 1645, 1664, 1679, 1985 / 1664 'जलपका 1303, 1364, 1828 / 910, 1808, 636 आम्बा सम्बरिया 325, 327, 329, 366, 374 भणवन कालण 1032, 2473	गणावन कोजायाख	~	'नहीं'	शायोजित ग्राम रूमा की सूची संलग्न एवं सम्बंधित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक विवरण
de		लसाडिया	गुज़रों का गुड़ा 265/1 फूसरिया 356, 658, 609, 613	बलीया डिकिया	 	नहीं	

उप वन श्रंपक्षक, उदयपुर

अतिवर्षुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला धरिषद, उदयपुर

उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

<u>2</u> 3 जिला कलक्टर, खदयपुर

जिला परिषद सदस्य, उदयपुर

G2500417V श्री विजयरामें. जिला परिषद सदस्य, उदयपुर

(श्री पुष्कर तेली) र्जर जिला प्रमुख, जिला परिषद, उदयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : एफ 4() टीएडी / वन अधि. / 2023 / 54 🞖 🍮

दिनांक : 1311/23

उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा / झाड़ोल / ऋषभदेव / लसाडिया जिला उदयपुर।

विषय :- मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग लिमिटेड इन्फास्ट्रक्चर प्रोवाईडर द्वारा ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक प 12/3() राजस्व / आव / 23 / 107 / दिनांक 11-1-2023 (संलग्न) ्ह्रास इंजिनियरिंग लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्यर प्रोवाईंडर द्वारा जिले के उपखण्ड गोगुन्दा, झाडोल, ऋषभदेव एवं लसाडिया में वन भूमि में अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि के सम्बन्ध में निम्नांकित राजस्व ग्राम के सामुदायिक व व्यक्तिगत अधिकार पट्टे जारी किये गये है या नहीं एवं विचाराधीन है/नहीं है। इस सम्बन्ध में सूचना श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा अविलम्ब चाही गई है।

	11.2	, M			
Г				राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा	ग्राम पंचायत का
ļ	क्र.स.	कार्य का नाम	उपखण्ड का नाम	ं नं	नाम
(۶ آ		अण्डर	गोगुन्दा	पडावलीकला (अनसेटल्ड)	पंडावली कला
}				भवरिया 477,478,479,01	ਚਪੇਵੇਟਾ
	2	ग्राउण्ड ऑप्टीकल	झाडोल	उपरेटा 4.5,6,10	J-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
		_		दामातालाब	
	· .	फाईबर :		1646,1664,1679,1988 / 1664	
٠ [लाईन		जल एका	,
			 	1303,1364,1828 / 910,1808,836	गुणावन
Ì	3	<u>'</u> '	- ऋषभदेव	आम्बा उम्बरिया	
				325,327,329,366,374	कोजावाङा
		<u> </u> -	!	गणवन कांकण	
. !			.	1032,2473	
	; ;		लसाडिया	इलीचा 899/1, 944/1	बलीचा
	4		(त्रसाख्या	हिकिया 658,609	<u>ढिकिया</u>

जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्वर प्रोवाईडर द्वारा ऑप्टींकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु प्रभावित उक्त खसरा नं. के वन अधिकार पत्र धारकों की मौका निरिक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तीन दिवस में भिजवाने का श्रम करावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

क्रमाकः ए.३९ / १()राज. / दना. / 2019 / 11 रे प

दिनांक 08.04.2022

निमित्त.

- उप वन संरक्षक, . उदयपुर।
- उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।

विषयः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के परिवर्तन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैसर्स दिनेश ईंजिनियर्स लि. को गोगुन्दा—िकरट मार्ग, खेरवाडा—झाड़ोल मार्ग एवं बडी सादडी—लसाडिया मार्ग पर स्थित वन भूमियों में अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर केबल बिछाने हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण—पत्र जारी करने के संबंध में इस कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में जिला कलक्टर महोदय के समक्ष चर्चा हेतु दिनांक 12.04.2022 को प्रातः 10:30 बजे बैठक निर्धारित की गई

अतः मामले में आप संबंधित नियम/कानूनी प्रावधान के साथ बैठक में अनिवार्यतः उपस्थित होवें।

(ओ.बी.बुनकर) अति. जिला कलक्टर, १८८ छद्रयपुर

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

क्रमाकः प.39 / 1()राजः / वनाः / 2019 / **८०**६

दिनांक /8 .02.2022

निमित्त,

- उप वन संरक्षक, उदयपुर!
- उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।

विषयः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के परिवर्तन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैसर्स दिनेश ईंजिनियर्स लि. को गोगुन्दा—िकरट मार्ग, खेरवाडा—झाडोल मार्ग एवं बडी सादडी—लसाडिया मार्ग पर स्थित वन भूमियों में अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर केबल बिछाने हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण—पत्र जारी करने के संबंध में इस कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में जिला कलक्टर महोदय के समक्ष चर्चा हेतु दिनांक 21.02.2022 को सांयः 05:00 बजे बैठक निर्धारित की पर्ड है।

अतः मामले में आप संबंधित नियम/कानूनी प्रावधान के साथ बैठक में अनिवार्यतः उपस्थित होवें।

हैंग) (ओ.बी.बुनकर) अति. जिला कलक्टर, ंट्रिट सदयपुर

रमरण पत्र-ा

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

क्रमाकः प.39 / 1()राज. / गै.व.प्र. / 2021 /*देउ* हु

विनांक ्र≉2022 *उ.ट*े. •्देर्

निमित्

उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा / झाड़ोल / ऋषभदेव / लसाडिया।

विषयः मैसर्स दिनेश ईजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन विछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में।

प्रसंगः इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांकः 1787, 1788, 1789 एवं 1790 दिनांक 01.06.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्रों की ओर आकर्षित लेख है कि मैसर्स दिनेश ईजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहल प्रगाण—पत्र जारी करने के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंश रिपोर्ट एवं सबंधित ग्राम पंचायतों की ग्राम समाओं की प्रतियां चाही गई थी, जो आज दिनाक तक इस कार्यालय को ग्राप्त नहीं हुई है।

अतः इस संबंध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि मामले में उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंधा रिपोर्ट एवं संबंधित ग्राम पंचायतों की ग्राम संगा की प्रतियां शीघ्र इस कार्यालय में भिजवाई जाना सुनिश्चित करें।

> (तारा चन्द्र भीशा) जिला कलक्टर, O/C जदयपुर